BSES YAMUNA BSES RAJDHANI

BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi – 110019

दिल्ली पुलिस-बीएसईएस का साझा ऑपरेशनः अवैध बिजली वितरण नेटवर्क का पर्दाफाश, पॉश गारमेंट शोरूम भी बिजली चोरी में पकड़ा गया, कुल 83 लाख का जुर्माना

- दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में दिल्ली पुलिस- बीएसईएस के साझे ऑपरेशन ने किया अवैध रूप से बिजली वितरण करने वालों को बेनकाब, 53 लाख का जुर्माना
- 800 घरों को कर रहा था 140 किलोवॉट बिजली की आपूर्ति, तिहाड़ जेल भेजा गया
- पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में पॉश गारमेंट शोरूम पर छापा, 30 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2006। बिजली चोरी के खिलाफ बीएसईएस के अभियान को उस वक्त एक और बड़ी सफलता मिली, जब कंपनी की एन्फोर्समेंट टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शुरू किए गए एक साझे ऑपरेशन के तहत दक्षिण दिल्ली के तुगलका बाद इलाके में अवैध ढंग से बिजली वितरण करने वाले लोगों को धर दबोचा। एक अन्य मामले में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में एक पॉश गारमेंट शोरूम पर भी छापा मारा गया। कुल 83 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है।

चोरी की बिजली का वितरण करने वाला गैंग पकड़ा गया, एक पहुंचा तिहाड़

छह हफ्तों तक चले दिल्ली पुलिस के 10 जवानों और बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड की एन्फोर्समेंट टीम के साझे ऑपरेशन ने अवैध ढंग से बिजली वितरण के काम में लगे एक गैंग को धर दबोचा। तुगलकाबाद में यह गैंग बीएसईएस वितरण नेटवर्क के समानांतर अपना एक अलग नेटवर्क चला रहा था। यह गैंग 600 घरों और 200 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चोरी की बिजली सप्लाई कर रहा था। बीएसईएस एलवी मेन्स से 140 किलोवॉट से अधिक की बिजली चोरी कर करीब एक किलोमीटर के दायरे में बिजली की सप्लाई करने वाले इस गैंग को पकड़ने गई बीएसईएस टीम के सदस्यों को इन 'पहलवानों' के भारी विरोध का कई बार सामना करना पड़ा।

इस मामले में हंसा चौधरी, बिट्टू और जगदीश चन्दर उर्फ जग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मामले के मास्टर माइंड जग्गा को पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है, जबकि बाकी दो फरार हैं। इन लोगों पर 53 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है।

पॉश गारमेंट शोरूम *गोकुल मेगामार्ट* पर छापा, 30 लाख का जुर्माना

बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड की एन्फोर्समेंट टीम ने पूर्वी दिल्ली के तेजी से उभर रहे कृष्णा नगर मार्केट में स्थित एक पॉश गारमेंट शोरूम गोकुल मेगामार्ट में छापा मारा और 150 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी। मीटर के साथ छेड़छाड़ कर यहां बिजली की चोरी की जा रही थी। शोरूम में स्थित मीटर भी करीब 35 प्रतिशत धीमा पाया गया। मीटर का सैंक्शंड लोड 95 किलोवॉट था। शोरूम पर 30 लाख रूपये का जुर्माना किया जा रहा है।

बीएसईएस के एक प्रवक्ता के मुताबिक, बिजली चोरी की दोनों की घटनाओं का पर्दाफाश करने और उन्हें पकड़ने में तकनीक ने अहम भूमिका अदा की।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस 39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस 39999840/ 9350130304